न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या-2 बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : मिनाक्षी मीणा
विशिष्ट सेशन प्रकरण संख्या : 120/2024
एफ.आई.आर. संख्या : 07/2020 थाना डाबी, जिला-बून्दी

आरोप अन्तर्गत धारा-8/15 व 8/25 स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधि0, 1985

निर्णय दिनांक 18-03-2026

शिकायतकर्ता	राजस्थान राज्य
उपस्थित	अपर लोक अभियोजक श्री महेन्द्र कुमार शर्मा
अभियुक्तगण	मांगी लाल पुत्र देवाराम, निवासी-ढूंढियों की ढाणी, लूनावास, झंवर, जिला-जोधपुर(राज 0)
उपस्थित	श्री कौशल किशोर शर्मा, अधिवक्ता-अभियुक्त.

संदर्भित तारीखों का विवरण

घटना की तारीख	06/01/20
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	06/01/20
चार्जशीट पेश होने की तारीख	29/06/24
आरोप विरचित किये जाने की तारीख	25/07/25
अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ होने की तारीख	08/08/24
निर्णय सुरक्षित रखने की तारीख	-
निर्णय तारीख	18/03/26
दण्डादेश की तारीख	-

मुलजिम/मुलजिमान की सूचना

क्र.सं सं .	मुलजिम का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत की तारीख	आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा	बरी या दोषसिद्ध	अधिरोपित दण्ड	विचारण के दौरान भुगती गई निरोध की अवधि
1	मांगी लाल	20.12.23	-	8/15 व 8/25	निर्णयानुसार	निर्णयानुसार	दि.20.12.23 से लगा.

				एन.डी.पी. एस.एक्ट			

<u>नि र्ण य</u>

<u>दिनांक : 18 मार्च, 2026</u>

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त रूप से इस प्रकार से है कि सम्पतसिह स.उ.नि. मय जाप्ता राजेन्द्रसिह स.उ.नि., दामोदर प्रसाद हेड कानि. 404, सत्यनारायण कानि. 179, लालसिह कानि. चालक नं. 122 मय पम्प एक्शन गन 25 कारतूस मय अनुसंधान बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, इलेक्ट्रोनिक बेट्री चलित तराजू व जीप सरकारी के दिनांक 05.01.2020 को रात्रि समय 11:54 पी.एम पर वास्ते गस्त व नाकाबन्दी हेतु रवाना हुआ था। थाने से रवाना होकर गस्त कस्बा डाबी, सूतडा करता हुआ धनेश्वर में अम्बेरानी तिराये के पास पहुंच कर नाकाबन्दी करने लगा। तभी आज दिनांक 06.01.2020 समय 1:40 ए.एम पर डाबी की तरफ से एक ट्रक आया जो नाकाबन्दी पोइन्ट से करीब 50 मीटर पहले पुलिस जीप व बावर्दी पुलिस जाप्ता को नाकाबन्दी करते देखकर एकदम से रूका व ट्रक का चालक ट्रक को वही छोडकर अंधेरे मे भाग गया। संदेह होने पर दामोदर प्रसाद हेड कानि. 404 को हुक्मनामा देकर स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु रवाना किया गया। जिसने समय 2:00 एम.पर वापस आकर बताया कि रात्रि का वक्त होने से कोई व्यक्ति नही मिला। ना ही आने जाने वाले व्यक्तियों में से कानूनी पेचिदियो के कारण कोई गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। मोके पर कोई स्वतन्त्र गवाह नही मिलने से हमराही जाप्ता में से राजेन्द्र सिह स.उ.नि. व दामोदर प्रसाद हेड कानि. 404 को गवाह मामूर कर दोनों से स्वतन्त्र गवाह बनने की लिखित सहमति प्राप्त कर संदिग्ध ट्रक नं. आर जे 19 जी बी 2877 की केबिन की तलाशी ली कोई दस्तावेज नहीं मिला तथा ट्रक के डाले पर बंधा स्लेट रंग का तिरपाल हटा कर ट्रक को चेक किया तो ट्रक के अन्दर डाले में 53 कट्टे प्लास्टिक के भरे हुये मिले। सभी कट्टों को ट्रक के नीचे उतार कर ट्रक व सरकारी जीप की हेड लाईटो के उजाले में खोलकर देखा सभी कट्टों में मादक पदार्थ डोडा चुरा (पोस्त) भरा हुआ था। प्रत्येक कट्टे का इलेक्ट्रोनिक तराजू से तोल किया तो प्रत्येक कट्टे का बारदाना सहित वजन 20 किलो 140 ग्राम पाया गया। तथा खाली कट्टे का वजन 140 ग्राम मिला। इस प्रकार सभी कट्टो का बारदाना सहित कुल वजन 10 क्वि. 67 किलो 420 ग्राग हुआ। ट्रक नं. आर जे 19 जी बी 2977 के चालक के द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के, अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा पोस्त को अपने कब्जे में रखना व परिवहन करना धारा 8/15 एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होनें से ट्रक के उपर बंधे तिरपाल का खोलकर तिरपाल को नीचे बिछाकर उक्त सभी कटट्टो में भरे डोडा पोस्त का तिरपाल पर एक ढेर किया गया व ढेर में से 500 ग्राम डोडा पोस्त बतौर सैम्पल निकाल कर एक कपडे की थैली में भरकर निजी शील से शिल्ड मोहर कर मार्क A दिया गया तथा ढेर में से 500 ग्राम डोडा पोस्त बतौर कन्ट्रोल सैम्पल निकाल कर एक कपडे की थैली में भरकर निजी शील से शिल्ड मोहर कर मार्क B

दिया गया। तथा नमूना सेम्पल व कन्ट्रोल संस्थल निकालने के बाद शेष डोडा पोस्त' को 52 प्लास्टिक के कट्टो में 20-20 किलोग्राम भरकर शिल्ड मोहर कर कमशः मार्क C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11. C-12, C-13, C-14, C-15, C-16, C-17, C-13. C-19, C-20, C-21 C-22, C-23, C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-30, C-31, C-32, C-33, C-34, C-35, C-36, C-37, C-38, C-39, C-40, C-41, C-42, C-43, C-44, C-45, C-46, C C-48, C-49, C-50, C-51, C-52 दिया गया तथा एक कट्टे मे 19 किलोग्राम डोडा बाईत भरकर मार्क D दिया जाकर जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया तथा ट्रक नं RJ19GB2877 को बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। नमूना शील फर्द पर अंकित की गई। ट्रक को जप्त कर वापसी थाना आने पर मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् तथ्यों का संकलन करते हुए अभियुक्त मांगी लाल के विरुद्ध धारा 8/15 व 8/25 एन.डी.पी.एस.एक्ट के अपराध में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।

2. बाद बहस आरोप अभियुक्त मांगीलाल के विरुद्ध धारा 8/15 व 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट का आरोप प्रथमदृष्टया बनना पाये जाने पर पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, अभियुक्त ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

<u>अभियोजन साक्षीगण की सूची</u>

क्रम सं.	साक्षी का नाम	किस बाबत साक्षी
1	राजेन्द्र सिंह	फर्द जप्ती
2	लाल सिंह	वाहन चालक
3	सत्यनारायण	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
4	दामोदर	फर्द जप्ती
5	सम्पत सिंह	जप्ती अधिकारी
6	अशोक कमार	तामील कलिन्दा
7	प्रहलाद	फर्द गिरफ्तारी
8	महावीर	मालखाना इंचार्ज
9	रामेश्वर	फर्द तस्दीक घटनास्थल
10	मनोज कमार	फर्द तस्दीक घटनास्थल
11	मकेश कमार	धारा 57 एन.डी.पी.एस.एक्ट की सचना
12	महेश कमार	नक्शा मौका
13	नरेन्द्र	माल एफ.एस.एस. में जमा कराना
14	महेन्द्र सिंह	वारण्ट धारा 37 पलिस एक्ट
15	धर्मराज	चार्जशीट
16	बंशी लाल	बेचान इकरारनामा
17	सत्यनारायण	अनसंधान अधिकारी
18	अनिल जोशी	चार्जशीट

19	कौशल्या गालव	अन्संधान अधिकारी
20	महेन्द्र सिंह	अनसंधान अधिकारी
21	महेश कमार	इन्वेन्ट्री

बचाव साक्षीगण की सूची -

क्रम सं.	साक्षी का नाम	किस बाबत साक्षी
1	सरोजना	बचाव साक्षी

अभियोजन की ओर से पेश प्रलेखों की सूची

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी 1/ पी.डब्ल्य्.1	फर्द जप्ती
2	प्रदर्श पी 2/ पी.डब्ल्य्.1	गवाह सहमति
3	प्रदर्श पी 3/ पी.डब्ल्य्.1	फर्द नमन्ना सील
4	प्रदर्श पी 4/ पी.डब्ल्य्.1	फर्द नष्टीकरण सील
5	प्रदर्श पी 5/ पी.डब्ल्य्.1	फर्द पन: नमन्ना सील
6	प्रदर्श पी 6/ पी.डब्ल्य्.1	फर्द जप्ती स्कटर
7	प्रदर्श पी 7/ पी.डब्ल्य्.1	नकल रोजनामचा
8	प्रदर्श पी 8/ पी.डब्ल्य्.2	नक्शा मौका
9	प्रदर्श पी 9/ पी.डब्ल्य्.4	हक्मनामा तलबी गवाह
10	प्रदर्श पी 10/ पी.डब्ल्यू.5	प्रथम सूचना रिपोर्ट
11	प्रदर्श पी 11/ पी.डब्ल्यू.5	सूचना धारा 57
12	प्रदर्श पी 12/ पी.डब्ल्यू.5	सूचना धारा 55
13	प्रदर्श पी 13-17/ पी.डब्ल्यू.5	रोजनामचा रपट
14	प्रदर्श पी 18/ पी.डब्ल्यू.5	नतीजा एफ.एस.एल.
15	प्रदर्श पी 19/ पी.डब्ल्यू.6	नकल बयान तामील कुलिन्दा
16	प्रदर्श पी 20/ पी.डब्ल्यू.6	नकल गिरफ्तारी वारण्ट
17	प्रदर्श पी 21/ पी.डब्ल्यू.6	आदेशिका
18	प्रदर्श पी 22/ पी.डब्ल्यू.7	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम
19	प्रदर्श पी 23/ पी.डब्ल्यू.8	नकल मालखाना रजिस्टर
20	प्रदर्श पी 24/ पी.डब्ल्यू.8	प्राप्ति रसीद एफ.एस.एल.
21	प्रदर्श पी 25/ पी.डब्ल्यू.9	नक्शा मौका घटनास्थल
22	प्रदर्श पी 26/ पी.डब्ल्यू.13	अग्रेषण पत्र
23	प्रदर्श पी 27/ पी.डब्ल्यू.16	इकरारनामा
24	प्रदर्श पी 28/ पी.डब्ल्यू.17	फर्द सूचना

25	प्रदर्श पी 29/ पी.डब्ल्यू.19	वाहन रिकार्ड
26	प्रदर्श पी 30/ पी.डब्ल्यू.19	वाहन रिपोर्ट
27	प्रदर्श पी 31/ पी.डब्ल्यू.19	नकल रोजनामचा
28	प्रदर्श पी 32/ पी.डब्ल्यू.19	नकल रोजनामचा
29	प्रदर्श पी 33/ पी.डब्ल्यू.20	नोटिस
30	प्रदर्श पी 34/ पी.डब्ल्यू.21	नोटिस
31	प्रदर्श पी 35/ पी.डब्ल्यू.21	आर्डरशीट इन्वेन्ट्री
32	प्रदर्श पी 36/ पी.डब्ल्यू.21	इन्वेन्ट्री
33	प्रदर्श पी 37-122/ पी.डब्ल्यू.21	फोटोग्राफ्स

बचाव पक्ष की ओर से पेश प्रलेखों की सूची

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श ड-1/डी.डब्ल्यू.1	आधार कार्ड प्रति
2	प्रदर्श ड-2/डी.डब्ल्यू.1	जन्म प्रमाण-पत्र प्रति

वस्तु आर्टिकल : - आर्टिकल-1 से 52 बोरे

3. अभियोजन साक्ष्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुये स्वयं को निर्दोष होना बताया।

4. प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

(1) क्या दिनांक 06.01.2020 को समय लगभग 01.40 ए.एम. पर थाना डाबी के क्षेत्र धनेश्वर में अम्बेरानी तिराहे के पास दौराने नाकाबन्दी तलाशी अभियुक्त मांगी लाल के अनन्य आधिपत्य के ट्रक आर.जे. 19/जी.बी.-2877 में मादक पदार्थ "डोडा पोस्त" मिला, जिसका शुद्ध वजन 10 क्विंटल 67 किलोग्राम 420 ग्राम था, जिसको अपने कब्ज़े में रखने बाबत् उसके पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था। तथा उसके द्वारा अपने स्वामित्व के उक्त वाहन को जानबूझकर अवैध मादक पदार्थ के परिवहन करने हेतु अनुमत किया ?

(2) यदि अभियोजन सन्देह से परे आरोप प्रमाणित कर पाने में सफल रहा है, तो अभियुक्त को दिये जाने वाले दण्ड की मात्रा क्या होगी ?

5. बहस के माध्यम से अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पूर्णतया प्रमाणित हो चुका है। अभियुक्त मांगी लाल के पंजीकृत वाहन ट्रक संख्या आर.जे.19/जी.बी.-2877 से

व्यावसायिक मात्रा में डोडा चूरा बरामद किया गया एवं अभियुक्त तत्समय् मौके पर वाहन को खड़ा कर भाग गया था, परन्तु अनुसंधान से यह तथ्य प्रकट हुआ कि तत्समय ट्रक को अभियुक्त मांगी लाल द्वारा ही चलाया जा रहा था जिसमें व्यावसायिक मात्रा में डोडा चूरा परिवहन किया जा रहा था। मौके पर ही ट्रक की तलाशी ली जाकर जप्ती की कार्यवाही की गई, जिसकी पुष्टि अभियोजन के गवाहान द्वारा स्पष्ट रूप से की गई है। पत्रावली पर वाहन अभियुक्त मांगी लाल के नाम पंजीकृत होने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश की गई है। प्रतिरक्षा में अभियुक्त की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, जो यह दर्शित करे कि अभियुक्त का उक्त वाहन से कोई संबंध ना हो। अतः अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रमाणित होने का कथन करते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर उचित दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गई।

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश करते हुए तर्क दिये हैं कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है। पुलिस जाप्ता मौके पर गश्त हेतु गया हो, यह तथ्य सन्देहास्पद है, क्योंकि यह नहीं माना जा सकता कि गश्त के दौरान मात्र एक ही वाहन को चैक किया जाकर कार्यवाही की गई हो। गवाह जिस सरकारी वाहन से गये थे, उसकी लॉग बुक भी पेश नहीं की गई है एवं दूसरी बार जिस प्राईवेट वाहन से मौके पर गये, उसके संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। मौके से ना तो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, ना ही उसके कब्जे से कोई मादक पदार्थ बरामद हुआ है। अभियुक्त के स्वामित्व से संबंधित कोई दस्तावेज भी प्राप्त नहीं हुए हैं। गवाह यह भी स्वीकार करते हैं कि माल का वजन इलेक्ट्रोनिक तराजू से किया गया था, ऐसे में 52 कट्टों को इलेक्ट्रोनिक तराजू से तोलने का तथ्य अव्यावहारिक है। जप्तशुदा माल की सेम्पलिंग भी समुचित प्रक्रिया द्वारा नहीं की गई है एवं उक्त कथित सेम्पल को एफ.एस.एल. जॉच हेतु भिजवाये जाने में अत्यधिक देरी कारित की है। मौके पर कार्यवाही की कोई रिकार्डिंग नहीं की गई, ना ही मौके से जरिये वायरलैस किसी उच्चाधिकारी का सूचना दी गई। घटनास्थल एक चलता-फिरता रोड होने के बावजूद स्वतंत्र गवाह बनाने का समुचित प्रयास नहीं किया गया। गवाहान के बयान आपस में विरोधाभासी हैं। मालखाने में मात्र माल जमा करवाये जाने की पुष्टि हुई, ट्रक के संबंध में कोई कथन नहीं है। धारा 57 एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रावधानों की पालना भी समुचित प्रकार से नहीं की गई है। अभियुक्त के बैंक खाते में कोई अवैध राशि का लेन-देन दर्शित नहीं है। ना ही अभियुक्त मांगी लाल की कॉल डिटेल व लोकेशन निकलवायी गई है। जैसाकि आरोपःपत्र में वर्णित किया गया है, मांगी लाल की पत्नी का नाम सीता बाई नहीं होकर सरोजना है एवं उसे धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम का कोई नोटिस दिया जाना भी साबित नहीं है, चूंकि तत्समय् मांगी लाल की पुत्री या तो अजन्मी थी या उसकी आयु एक दो वर्ष की थी। ऐसे में मांगी लाल की पुत्री के हस्ताक्षर इस नोटिस पर होना सन्देहास्पद है। धारा 50 एन.डी.पी.एस.एक्ट के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। धारा 27 की सूचना के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रकरण में 05

अनुसंधान अधिकारी हैं जिनमें गवाह संख्या 17, 19 व 20 ने स्वीकार किया है कि उनके अनुसंधान के आधार पर मांगी लाल को मुलजिम नहीं बनाया जा सकता। मुलजिम का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है, उसे मात्र गाड़ी मालिक होने से मुलजिम बनाया गया है। मात्र आर.टी.ओ. के दस्तावेज से यह नहीं माना जा सकता कि मांगी लाल इस वाहन का मालिक है, जबकि उसके द्वारा वाहन का बेचान कर दिया गया था। इस वाहन की किश्तें किसके द्वारा अदा की गई, इस पर अनुसंधान नहीं किया गया, ना ही रामाराम के वारिसान से कोई पूछताछ नहीं की गई। यह दर्शित नहीं है कि अभियुक्त ने मादक पदार्थ का उपयोग, उपभोग, भण्डारण, विक्रय, उत्पादन या परिवहन किया हो अथवा अपने वाहन से परिवहन करवाया हो। अभियुक्त लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रस्तुत मामले मादक पदार्थ की इन्वेन्ट्री कार्यवाही भी दो वर्ष के बाद हुई है। जिसकी रिपोर्ट से दर्शित है कि कथित जप्तशुदा मादक पदार्थ के वजन में अंतर पाया गया है। अतः अभियोजन की कहानी में गम्भीर विरोधाभास होने व उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से निम्न न्यायदृष्टान्त प्रस्तुत किये गये:-

1. दिल्ली राज्य बनाम तौहीद खान 26 सितम्बर 2025
   क्रिमिनल लीव पिटीशन 202/2021 दिल्ली उच्च न्यायालय
2. अजमेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य
   (2010) 3 एस.सी.सी. 746
3. नूर आगा बनाम पंजाब राज्य
   (2008) 16 एस.सी.सी. 417
4. मदन लाल व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य
   2003 (7) एस.सी.सी. 465
5. आदित्य शर्मा बनाम राजस्थान राज्य
   क्रिमिनल जमानत प्रार्थना-पत्र 11226/2023 राज. उच्च न्यायालय जयपुर
6. प्रेमचन्द बनाम राजस्थान राज्य, 19.10.2024
   क्रिमिनल अपील (एस.बी.) 286/2024 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
7. हरभजन सिंह बनाम हरियाणा राज्य 25.10.2023
   क्रिमिनल अपील 1480/2011 एस.सी.
8. मदन लाल जाट बनाम राजस्थान राज्य
   2020 (2) आर.एल.डब्ल्यू. 1398 (राज.)
9. नेतराम बनाम राजस्थान राज्य
   2014 (1) क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राज.) 163
10. श्याम लाल बनाम राजस्थान राज्य
    2023 आर.जे.जे.डी./01183 दिनांक 25.04.2023

11. मोहम्मद खालिद व अन्य बनाम तेलंगाना राज्य
क्रिमिनल अपील 1610/2023 सुप्रीम कोर्ट
12. सचिन शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश 06.09.2024
13. मोहन लाल बनाम पंजाब राज्य 16.08.2018 सुप्रीम कोर्ट
14. लोकेश बनाम राजस्थान राज्य जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3783/2024
15. भारत संघ बनाम मोहन लाल
(2016) 3 एस.सी.सी. 378

<u>विचारणीय बिन्दु सं. 1:-</u>

6. प्रकरण में अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 06.01.2020 को अभियुक्त मांगी लाल के पास लगभग 02.15 ए.एम. के आसपास पुलिस थाना, डाबी जिला-बून्दी के क्षेत्र में ट्रक संख्या आर.जे.19/जी.बी.-2877 में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किये जाने के संबंध में अभियोजन द्वारा जो साक्षीगण पत्रावली पर परीक्षित करवाये गये हैं, उनमें स्वयं जब्ती अधिकारी सम्पत सिंह पी.डब्ल्यू. 5 तथा फर्द जब्ती के गवाहान के रूप में साक्षी राजेन्द्र सिंह पी.डब्ल्यू. 1 व दामोदर प्रसाद पी.डब्ल्यू. 5 एवं मौके पर उपस्थित गवाह सत्यनारायण पी.डब्ल्यू. 3 व लाल सिंह पी.डब्ल्यू. 2 के रूप में पत्रावली पर परीक्षित करवाये गये हैं।

7. साक्षी सम्पत सिंह, जो कि प्रकरण में जब्ती अधिकारी एवं तत्समय पुलिस थाना डाबी, जिला-बून्दी में एस.आई. के पद पर पदस्थापित होना बताया गया है, को अभियोजन की ओर से पत्रावली पर पी.डब्ल्यू. 5 के रूप में परीक्षित करवाया गया है। उक्त साक्षी ने सशपथ कथन किये हैं कि वह दिनांक 05-01-2020 को रात्रि 11.54 पी.एम. पर वास्ते गश्त व नाकाबंदी मय जाब्ता राजेन्द्र, दामोदर, सत्यनारायण, लालसिंह व चालक सरकारी जीप थाने से गश्त हेतु रवाना होकर धनेश्वर में अंबेरानी तिराहा पर एनएच-27 पर नाकांबदी शुरू की, उस समय दिनांक 06-1-2020 01.40 ए.एम. रात्रि का था। तभी डाबी की तरफ से एक ट्रक आया जो नाकाबंदी से करीब 50 मीटर पूर्व पुलिस जाब्ता को देखकर रूका। ट्रक चालक ट्रक को वहीं छोड अंधेरे में भाग गया। स्वतंत्र गवाह की अनुपलब्धता मे दामोदर प्रसाद और राजेन्द्र सिंह को लिखित सहमति देकर गवाह मासूर किया। इसके बाद संदिग्ध ट्रक नंबर आरजे19 जीबी2877 के केबिन की तलाशी में कोई दस्तावेज नहीं मिला तथा ट्रक के डाले पर बंधा स्लेटी रंग का तिरपाल हटाकर चैक किया तो 53 कटटे प्लास्टिक के भरे मिले। सभी कट्टो को ट्रक के नीचे उतार कर ट्रक व सरकारी जीप की हेड लाईट के उजाले में देखा तो मादक पदार्थ डोडा चूरा भरा मिला। प्रत्येक कटटे का वजन बारदाने सहित 20 किलो 140 ग्राम पाया तथा खाली कटटे का वजन 140 ग्राम हुआ। इस प्रकार सभी कट्टों का बारदाना सहित वजन 10 क्विंटल 67 किलो 400 ग्राम हुआ। ट्रक नंबर आरजे19 जीबी 2877 के चालक द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र मादक पदार्थ डोडा चूरा कब्जे में रखना 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से ट्रक पर बंधे तिरपाल को नीचे बिछाकर उक्त सभी कटटे में भरे डोडा पोस्त को खाली किया व उस ढेर में से 500-500 ग्राम बतौर

एफ.एस.एल. सैपल व कन्ट्रोल सैंपल अलग अलग कपडे की धैली में भरकर निजी सील से सील्ड कर क्रमशः मार्क ए व बी दिया तथा शेष डोडा पोस्त को 52 कटटो में 20-20 किलो भरकर तथा उन्हें सील मोहर कर क्रमशः मार्क सी1 लगायत सी-52 तक दिया तथा एक कटटे में 19 किलो डोडा पोस्त भरकर मार्क-डी दिया। ट्रक आर.जे.19/जी.बी.-2877 को बतौर वजह सबूत जब्त किया। फर्द जप्ती मौके पर बनायी जो प्रदर्श पी-1 है। बाद कार्यवाही मय माल व वाहन थाने पर आये तथा मु.नं. 7/2020 धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दर्ज कर उच्चाधिकारियों के निर्देश से प्रकरण एस.एच.ओ. कौशल्या गालव को अनुसंधान हेतु सुपूर्द किया। प्रकरण की चाक एफआईआर प्रदर्श पी 10, गवाहान की सहमति का पत्र प्रदर्श पी 2, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी-3, फर्द नष्टीकरण नमूना सील प्रदर्श पी-4 है। उसने निजी सील को बाद कार्यवाही पत्थर से तोडकर नष्ट कर दिया था। फर्द पुनः नमूना सील प्रदर्श पी 05, नकल रपट रवानगी रोजनामचा प्रदर्श पी6, नकल रपट रोजनामचा वापसी प्रदर्श पी 07 व स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु हुकुमनामा प्रदर्श पी-9 है। दिनांक 08-1-2020 को आईओ कौशल्या गालव ने नक्शा मौका बनाया जो दामोदर की निशांदेही से बनाया था। दिनांक 06-1-20 को उसने धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना मुकेश कुमार 571 के द्वारा एस.पी. साहब की प्रेषित की जो प्रदर्श पी-11 है। धारा 55 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस दिया जाकर उसने जप्तशुदा माल के जमा मालखाना कराया था। नोटिस प्रदर्श पी 12 है। धारा 57 की सूचना हेतु मुकेश कानि की रवानगी रपट प्रदर्श पी-13 है तथा वापसी प्रदर्श पी-14 है। मुकेश कानि को सी.ओ. कार्यालय में धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना भेजने की रपट प्रदर्श पी-15 है। नरेन्द्र कानि को माल का सैंपल जमा एफ.एस.एल. कराने हेतु नकल रपट रवानगी प्रदर्श पी 16 व वापसी नकल रपट प्रदर्श पी 17 है। प्रकरण में जब्त माल की एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी18 है। प्रकरण में जब्त माल की इन्वेंट्री की जा चुकी है। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि उन्हें माल की कोई पूर्व सूचना नहीं थी। गवहा ने स्वीकार किया कि अंधेरे के कारण वे चालक की शक्ल नहीं देख पाये थे। गवाह ने स्वीकार किया कि ऐसी कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह होना आवश्यक है। गवाह ने स्वीकार किया कि इस प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि मौके से माल आरोपी के कहने से बरामद नहीं हुआ था, ट्रक से बरामद हुआ था। गवाह ने स्वीकार किया कि माल पर अफीम, डोडा चरा ऐसा कुछ नहीं लिखा था। गवाह ने स्वीकार किया कि तराजू इलेक्ट्रोनिक होने के बावजूद सभी कट्टों का वजन समान था। उन्होंने सारे कट्टों को खोलकर तिरपाल पर ढेर बनाकर उसमें उपर से हाथ से सेंपल लिया था। पहले फर्द जप्ती बनायी थी, फिर माल सील किया था। सम्पूर्ण कार्यवाही के बाद वे थाने पर आ गये थे। घटनास्थल पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं की थी। गवहा ने स्वीकार किया कि सम्पूर्ण कार्यवाही उसकी खुद की कलमी नहीं है। सम्पूर्ण कार्यवाही उसके निर्देशन में उसके मुंशी सत्यनारायण ने उसके लैपटॉप पर लिखी थी।गवाह ने स्वीकार किया कि किसी फर्द में यह अंकित नहीं है कि सम्पूर्ण फर्द सत्यनारायण कानि. ने उसके निर्देशन में टाईप की।

8. प्रकरण में साक्षी राजेन्द्र सिंह पी.डब्ल्यू. 1 फर्द जप्ती व बरामदगी का गवाह है, जो मौके पर उपस्थित था। इस साक्षी ने अपने बयानों में बताया कि वह दिनांक 05.01.2020 को थाना डाबी पर एएसआई के पद पर पदस्थापित था। उस दिन वह, थानाधिकारी सम्पत सिंह व जाप्ता दामोदर हेड कानि., सत्यनारायण कानि. मय जीप सरकारी मय चालक के वास्ते नाकाबंदी व गश्त इलाका करने के लिए रात्रि 11.54 पर रवाना होकर धनेश्वर रोड अम्बेमाता कट के सामने नाकाबंदी कर रहे थे। उसी समय डाबी की तरफ से एक ट्रक आर.जे.19/जी.बी.-2877 का आया व नाकाबंदी व पुलिस जाप्ता को देखकर करीब 50 मीटर दूर ट्रक को छोडकर चालक वहां से भाग गया। उसके बाद ट्रक में अवैध वस्तु होने या अवैध हथियार होने की आशंका से एसएचओ ने ट्रक की चैकिंग हेतु दामोदर हेड कानि. को गवाह तलाश करने हेतु एक हुकुमनामा दिया लेकिन कोई भी व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। इस पर एस.एच.ओ. ने उसे व दामोदर हेड कानि. को गवाह मामूर किया। तत्पश्चात् ट्रक के तिरपाल को हटाकर ट्रक की हेड लाईट व जीप की रोशनी में देखा तो 53 कट्टे प्लास्टिक के थे जिसमें डोडा चूरा भरा हुआ था। डोडा चूरा इलेक्टोनिक कांटा से प्रत्येक कट्टे को तौला तो प्रत्येक कट्टे में अलग-अलग वजन था, सारे कट्टों को तौलकर कुल वजन किया तो 10 क्विंटल 67 किलो 420 ग्राम बारदाना सहित हुआ। फिर तिरपाल को बिछाकर सारे कट्टों को खोलकर डोडा पोस्त को एक जगह ढेर कर दिया। बतौर एफ.एस.एल. सेम्पल 500 ग्राम तथा बतौर कन्ट्रोल सेम्पल 500 ग्राम डोडा चूरा निकालकर मार्क ए व मार्क बी दिया। शेष माल को उन्हीं कट्टों में भरकर 20-20 किलो भरकर मार्क सी1 से सी52 दिया। एक कट्टे में 19 किलो डोडा चूरा वजन होने से मार्क डी दिया। तत्पश्चात् फर्द जप्ती मौके पर ही तैयार की गई। गाडी के दस्तावेज व लाईसेंस व अनुज्ञापत्र तलाश किया तो नहीं मिला। मौके पर फर्द नमूना सील तैयार की व नमूना सील को मौके पर तोडकर नष्ट किया तथा फर्द नष्टीकरण बनाई बाद कार्यवाही मय माल व वाहन के थाने पर आए जहां एस.एच.ओ. साहब ने मुकदमा दर्ज किया तथा वाहन को थाना परिसर में खडा किया व माल को जमा मालखाना कराया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी1, गवाह बनने की सहमति का पत्र पी 2, फर्द नमूना सील पी 3, फर्द नष्टीकरण नमूना सील पी 4, थाने पर जप्तशुदा माल व सेम्पल को पुनः थाने की सील से सील मोहर किया था जिसकी फर्द पुनः नमूना सील प्रदर्श पी 5, नकल रपट रवानगी रोजनामचा प्रदर्श पी 6 व नकल रपट रोजनामचा वापसी थाना प्रदर्श पी 7 है। बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार किया कि वाहन की लॉगबुक शामिल पत्रावली नहीं है। जिस रूट में होते हुए घटनास्थल पहुँचे, उसका इन्द्राज रोजनामचा में है या नहीं, उसे याद नहीं है। गवहा ने स्वीकार यिका कि ट्रक को भगाकर ले जाने का प्रयास नहीं किया। आरोपी को वह पूर्व से नहीं जानता था। अंधेरे की वजह से वे चालक को हुलिया नहीं बता सकते। प्रत्येक कट्टे का वजन उसे याद नहीं है। जप्ती के दौरान वजन किया वह बीस किलो का था। एक कट्टे का वजन 19 किलो था। गवाह ने स्वीकार किया कि प्रत्येक कट्टे का एकसमान वजन होना संभव नहीं है तथा कुछ अंतर आता है। उसे प्रोपर सेम्पलिंग की जानकारी नहीं है।

9. फर्द जप्ती व बरामदगी के अन्य गवाह दामोदर प्रसाद पी.डब्ल्यू. 4 ने भी अपने बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 05.01.2020 को थाना डाबी पर कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन वह, थानाधिकारी सम्पत सिंह निरीक्षक व जाप्ता सत्यनारायण, राजेन्द्र सिंह एएसआई मय जीप सरकारी मय चालक लाल सिंह के वास्ते नाकाबंदी व गश्त इलाका करने के लिए रात्रि 11.54 पर रवाना होकर धनेश्वर रोड अम्बेमाता कट के सामने नाकाबंदी कर रहे थे उसी समय डाबी की तरफ से एक ट्रक आर.जे.19/जी.बी.-2877 का आया जो नाकाबंदी व पुलिस जाप्ता को देखकर करीब 50 मीटर दूर ट्रक को छोडकर चालक वहां से भाग गया। स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने पर एस.एच.ओ. ने राजेन्द्र सिंह जी व उसे गवाह मामूर किया। तत्पश्चात् ट्रक के पीछे लगे तिरपाल सलेटी रंग के को हटाकर जीप की रोशनी में देखा तो 53 कट्टे प्लास्टिक के थे जिसमें डोडा चूरा भरा हुआ था। प्रत्येक कट्टे में 20 किलो 140 ग्राम बारदाना सहित वजन था, तौलकर कुल वजन किया तो 10 क्विंटल 67 किलो 420 ग्राम बारदाना सहित हुआ। फिर तिरपाल सलेटी रंग के को बिछाकर सारे कट्टों को खोलकर डोडा पोस्त को एक जगह ढेर कर दिया। बतौर एफ एस सेम्पल 500 ग्राम तथा बतौर कन्ट्रोल सेम्पल 500 ग्राम डोडा चूरा निकालकर मार्क ए व मार्क बी दिया। शेष माल को उन्हीं कट्टों में भरकर 20-20 किलो भरकर मार्क सी1 से सी52 दिया। एक कट्टे में 19 किलो डोडा चूरा वजन होने से मार्क डी दिया। तत्पश्चात् फर्द जप्ती मौके पर एस.एच.ओ. साहब के निर्देशन पर सत्यनारायण द्वारा टाईप कर तैयार की गई। गाडी के दस्तावेज व लाईसेंस व मादक पदार्थ रखने व परिवहन करने का अनुज्ञापत्र तलाश किया तो नहीं मिला । मौके पर फर्द नमूना सील तैयार की व नमूना सील को मौके पर तोडकर नष्ट किया तथा फर्द नष्टीकरण बनाई बाद कार्यवाही मय माल व वाहन के थाने पर आए जहां एस एच ओ ने मुकदमा दर्ज किया तथा वाहन को थाना परिसर में खडा किया व माल को जमा मालखाना कराया। फर्द आकस्मिक चैकिंग व जप्ती प्रदर्श पी 1, स्वतंत्र गवाह तलबी हेतु हुकुमनामा प्रदर्श पी 9, गवाह बनने का सहमति पत्र प्रदर्श पी 2, नमूना सील आकस्मिक चैकिंग व तलाशी की फर्द प्रदर्श पी 3, फर्द नष्टीकरण नमूना सील है। थाने पर जप्तशुदा माल व सेम्पल को पुनः थाने की सील से सील मोहर किया गया था जिसकी फर्द पुनः नमूना सील प्रदर्श पी 5 है। दिनांक 08.01.2020 को उक्त मुकदमें के अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कौशल्या गालव एसआई थानाधिकारी थाना नमाना ने उसके सामने सम्पत सिंह एसआई एसएच ओ डाबी की निशादेही से निरीक्षण घटना स्थल कर फर्द नक्शा मौका बनाया। नक्शा मौका प्रदर्श पी 8 है। बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार किया कि वह सम्पूर्ण कार्यवाही से लेकर माल मालखाना में जमा कराने तक मौजूद था। सरकारी वाहन की लॉगबुक इस समय पत्रावली पर नहीं है। रोजनामचा रजिस्टर में एस एच ओ साहब ने हस्ताक्षर किये थे, उसके हस्ताक्षर नहीं है। उनके घटनास्थल पर पहुँचने के कितनी देर बाद ट्रक आया, उसे ध्यान नहीं है। एस एच ओ साहब ने ट्रक को इशारा करके रोका था। ट्रक चालक ने ट्रक को भगाकर ले जाने का प्रयास नहीं किया बल्कि वह स्वयं ही भाग गया था। वह यह नहीं बता सकता कि ट्रक

चालक किस दिशा में भागा था। उन्हें ट्रक की तलाशी में चालक की या ट्रक की पहचान बाबतद्य कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ। प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। स्वतंत्र गवाह लेने वह और राजेन्द्र जी गये थे। गवाह ने स्वीकार किया कि माल आरोपी के कब्जे से बरामद नहीं हुआ। वह ट्रक की कम्पनी, रंग, कौसिटी, मॉडल, इंजन नम्बर या चेसिस नम्बर नहीं बता सकता। 53 कट्टे थे, 52 कट्टे बीस-बीस किलोग्राम व एक 19 किलोग्राम का था। सेम्पल माल पर दो सील लगाई थी। माल व सेम्पल पर सील मौके पर ही लगाई थी, थाने पर कोई सील नहीं लगाई थी।उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी नहीं की।

10. साक्षी सत्यनारायण पी.डब्ल्यू. 3 प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने अपने बयानों में बताया कि वह दिनांक 05.01.2020 को थाना डाबी पर कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन वह, थानाधिकारी सम्पत सिंह व जाप्ता दामोदर हेड कानि, राजेन्द्र सिंह एएसआई मय जीप सरकारी मय चालक लाल सिंह के वास्ते नाकाबंदी व गश्त इलाका करने के लिए रात्रि 11.54 पर रवाना हुए थे। रवाना होकर धनेश्वर रोड अम्बेमाता कट के सामने नाकाबंदी कर रहे थे। उसी समय डाबी की तरफ से एक ट्रक आर.जे.19/जी.बी.-2877 का आया जो नाकाबंदी व पुलिस जाप्ता को देखकर करीब 50 मीटर दूर ट्रक को छोडकर चालक वहां से भाग गया। स्वतंत्र गवाह न मिलने पर राजेन्द्र सिंह जी व दामोदर हेड कानि. को गवाह मामूर कर ट्रक के तिरपाल सलेटी रंग के को हटाकर ट्रक की हेड लाईट व जीप की रोशनी में देखा तो 53 कट्टे प्लास्टिक के थे जिसमें डोडा चूरा भरा हुआ था। डोडा चूरा इलेक्टोनिक कांटा से प्रत्येक कट्टे को तौला तो प्रत्येक कट्टे में 20 किलो 140 ग्राम बारदाना सहित वजन था, तौलकर कुल वजन किया तो 10 क्विंटल 67 किलो 420 ग्राम बारदाना सहित हुआ। फिर तिरपाल सलेटी रंग के को बिछाकर सारे कट्टों को खोलकर डोडापोस्त को एक जगह ढेर कर दिया। बतौर एफ.एस.एल. सेम्पल 500 ग्राम तथा बतौर कन्ट्रोल सेम्पल 500 ग्राम डोडा चूरा निकालकर मार्क ए व मार्क बी दिया। शेष माल को उन्हीं कट्टों में भरकर 20-20 किलो भरकर मार्क सी1 से सी 52 दिया। एक कट्टे में 19 किलो डोडाचूरा वजन होने से मार्क डी दिया। तत्पश्चात् फर्द जप्ती मौके पर एस.एच.ओ. साहब के निर्देशन पर उसके द्वारा टाईप कर तैयार की गई। गाडी के दस्तावेज व लाईसेंस व मादक पदार्थ रखने व परिवहन करने का अनुज्ञापत्र तलाश किया तो नहीं मिला। मौके पर फर्द नमूना सील तैयार की व नमूना सील को मौके पर तोडकर नष्ट किया तथा फर्द नष्टीकरण बनाई बाद कार्यवाही मय माल व वाहन के थाने पर आए जहां एसएचओ साहब ने मुकदमा दर्ज किया तथा वाहन को थाना परिसर में खडा किया व माल को जमा मालखाना कराया। दिनांक 08.01.2020 को उक्त मुकदमें के अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कौशल्या गालव एसआई थानाधिकारी थाना नमाना ने उसके सामने सम्पत सिंह एसआई एसएचओ डाबी की निशांदेही से निरीक्षण घटना स्थल कर फर्द नक्शा मौका बनाया। नक्शा मौका प्रदर्श पी 8 है। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि उसे यह ध्यान नहीं है कि सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान जीप व ट्रक के मुँह की दिशा में परिवर्तन किया गया हो। ट्रक को हाथ का

इशारा देकर नहीं रोका था बल्कि ट्रक चालक उन्हें देखकर उनसे पचास मीटर की दूरी पर ट्रक को खड़ा करके भाग गया था। गवाह ने स्वीकार किया कि आरोपी को पहले से नहीं जानते थे। आज भी नहीं जानता है। गवाह ने स्वीकार किया कि ट्रक की तलाशी में उन्हें चालक की तलाशी बाबतद्य कोई दस्तावेज नहीं मिला। प्रकरण में पुलिस के अलावा कोईस्वतंत्र गवाह नहीं है। कट्टों की पैकिंग पर सिलाई लगी हुई थी। गवाह ने इस बात को गलत बताया कि सभी कट्टों के वजन में अंतर आया हो, बल्कि सभी का वजन समान था। सभी कट्टों को तिरपाल पर खोला था तथा सभी को एक ढेर किया था व उसमें से सेम्पल लिया था। मालखाना में माल जमा करवाया, उस समय वह नहीं था।

11. साक्षी लाल सिंह पी.डब्ल्यू. 2 प्रकरण में सरकारी वाहन का चालक है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 05.01.2020 को थाना डाबी पर कानि. वाहन चालक के पद पर पदस्थापित था। उस दिन वह, थानाधिकारी सम्पत सिंह निरीक्षक मय जाप्ता दामोदर हेड कानि., सत्यनारायण कानि., राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. के साथ मय जीप सरकारी वास्ते नाकाबंदी व गश्त इलाका करते हुए धनेश्वर माताजी रोड पर नाकाबंदी शुरू की। 1.40 ए.एम. पर बिजोलिया की तरफ से फिर कहा कि डाबी की तरफ से एक ट्रक आता दिखाई दिया जो पुलिस को बावर्दी देखकर माताजी रोड से थोडा पीछे की तरफ ट्रक को खडा करके चालक भाग गया। एस.एच.ओ. ने ट्रक के कैबिन को चैक किया तो उसमें कोई कागजात नहीं मिले। ट्रक की बोडी को चैक किया जो तिरपाल से ढकी हुई थी जिसके अंदर चैक किया तो प्लास्टिकनुमा 53 कट्टे मिले। ट्रक के नम्बर आर जे 19 जी बी 2877 थे। गाडी की हेड लाईट जलाकर उसके उजाले में 53 कट्टों को ट्रक से बाहर निकालकर चैक किया तो उन सभी कट्टों में डोडा पोस्त भरा हुआ था। इस पर इलेक्ट्रोनिक कांटे से प्रत्येक कट्टे का वजन किया तौलने पर प्रत्येक कट्टे का वजन कट्टा सहित 20 किलो 140 ग्राम वजन हुआ तथा कट्टे का वजन 140 ग्राम था। उन सभी कट्टों का बारदाना सहित कुल वजन 16 क्विंटल 67 किलो 420 ग्राम था। उक्त ट्रक के चालक का उक्त कृत्य 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से एस.एच.ओ.साहब ने सभी कट्टों का ढेर किया व सेम्पल 500 ग्राम बतौर एफ.एस.एल. सेम्पल व 500 ग्राम कन्ट्रोल सेम्पल निकालकर कपडे की थैली में रखकर मार्क ए व बी दिया। शेष 52 कट्टों में 20-20 किलो डोडा पोस्त भरकर सील मोहर कर मार्क सी 1 लगायत सी 52 दिया गया तथा एक कट्टे में 19 किलो डोडा पोस्त भरकर मार्क डी दिया। फर्द जप्ती मौके पर ही बनाई गई। कट्टों व सेम्पल को एस.एच.ओ. साहब की निजी सील से सील मोहर कर बाद कार्यवाही सील को मौके पर ही तोडकर नष्ट किया था। बाद कार्यवाही मय माल व वाहन के थाने पर आए जहां एस.एच.ओ. साहब ने मुकदमा दर्ज किया व माल को मालखाना में जमा कराया व वाहन को थाना परिसर में खडा किया। बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार यिका कि बरामदशुदा माल आज न्यायालय में नहीं है। वाहन की लॉग बुक शामिल पत्रावली नहीं है। घटनास्थल पर वे कितने समय तक रूके, उसे याद नहीं है। उनके पहुँचने के एक घण्टे बाद ट्रक आया था, उन्होंने ट्रक

को हाथ के इशारे से नहीं रोका था। गवाह ने स्वीकार किया कि चालक ने ट्रक को भगाकर लेकर जाने का प्रयास नहीं किया। इस प्रकरण में स्वतंत्र गवाह नहीं है। मालखाना में माल के साथ कोई अन्य वस्त या दस्तावेज जमा करवाया हो तो उसे ध्यान नहीं है।

12. साक्षी प्रहलाद पी.डब्ल्यू. 7 प्रकरण में फर्द गिरफ्तारी का गवाह है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 20.12.2023 को थाना नमाना पर हेड कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन प्रकरण संख्या 7/20 धारा एन.डी.पी.एस. एक्ट में अनुसंधान अधिकारी सत्यनारायण मालव द्वारा इस प्रकरण में उसकी व मनोज कुमार कानि. की उपस्थिति में मुलजिम मांगीलाल को गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 22 है। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि मुलजिम मांगी लाल को थाने से ही गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय इसके पास कोई वस्तु बरामद नहीं हुई थी।

13. साक्षी रामेश्वर फर्द तस्दीक घटनास्थल का गवाह है, जिसने अपने बयानों में बताया कि वह दिनांक 21.12.2023 को थाना नमाना पर कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन प्रकरण संख्या 7/20 धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में अनुसंधान अधिकारी सत्यनारायण मालव सी आई साहब के साथ वह तथा मनोज कानि. मय मुलजिम मांगीलाल थाने से रवाना होकर मुताबिक सूचना मांगीलाल के धनेश्वर अम्बेरानी तिराहे पर पहुंचे जहां पर मुलजिम द्वारा अवैध डोडा पोस्त से भरा ट्रक को छोडकर भागने के स्थान की तस्दीक कराई थी। फर्द तस्दीक घटना स्थल प्रदर्श पी 25 है। बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार किया कि वह घटनास्थल पर घटना के समय मौजूद नहीं था। नक्शा मौका थाने पर बैठकर नहीं बनाया था। वाहन की लॉग बुक पत्रावली में शामिल नहीं है। थाने से घटनास्थल की दूरी और दिशा वह नहीं बता सकता। वह नहीं बता सकता कि मुलजिम गाड़ी छोड़कर किस दिशा में भागा।

14. साक्षी मनोज कुमार पी.डब्ल्यू.10 भी फर्द तस्दीक घटनास्थल का गवाह है, जिसने अपने बयानों में बताया कि वह दिनांक 20.12.2023 को थाना नमाना पर कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन प्रकरण संख्या 7/20 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में अनुसंधान अधिकारी सत्यनारायण मालव एसएचओ नमाना ने मुलजिम मांगीलाल पुत्र देवाराम विश्नोई को गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 22 है। दिनांक 21.12.2023 को मुलजिम मांगीलाल की सूचना व निशादेही से मुलजिम द्वारा आगे-आगे चलकर धनेश्वर अम्बेरानी तिराहे पर पहुंचे जहां पर मुलजिम द्वारा अवैध डोडा पोस्त से भरा ट्रक को छोडकर भागने के स्थान की तस्दीक कराई थी। फर्द तस्दीक घटना स्थल प्रदर्श पी 25 है। बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार किया कि वह अभियुक्त को पहले से नहीं जानता। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के कब्जे से कोई माल बरामद नहीं हुआ।

15. साक्षी महावीर सिंह पी.डब्ल्यू. 8 प्रकरण में मालखाना इंचार्ज के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 6/1/20

को थाना डाबी में एच.सी. के पद पर एवं मालखाना इंजार्ज के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी संपत सिंह ने प्रकरण संख्या 7/20 धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में जप्तशुदा सैपल डोडा चूरा 500.500 ग्राम मार्क ए व बी एवं 52 प्लास्टिक में कटटो में 20 किलो डोडा शील्डशुदा मार्क सी01 लगायत सी 52 एवं एक कटटा प्लास्टिक शील्डशुदा जिसमें 19 किलो डोडा चूरा मार्क डी व एक ट्रक 6 चक्का आरजे 19 सीबी 2877 को उसे संभलाया गया था, जिसको उसने मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 5/6.01.20 को जमा किया था। मार्क ए1 सेम्पल को जमा एफ.एस.एल. हेतु दिनांक 24.12.2020 को कानि नरेन्द्र 994 को दिया था जिसने एसपी कार्यालय से कागजात तैयार करवाकर दिनांक 25.02.20 को एफ.एस.एल. में जाल जमा करवाया एवं प्राप्ति रसीद प्राप्त कर उसे लाकर सुपुर्द की एफ.एस.एल. जमा प्राप्ति रसीद क्रमांक 3076/25.02.20 है जो उसने आई.ओ. को सुपुर्द कर दी थी। असल मालखाना रजिस्टर आज वह साथ लाया था जो प्रदर्श पी23 है जिसमें इंद्राज उसका कलमी है। मालखाना रजिस्टर की नकल प्रदर्श पी23ए है, जो 2 पृष्ठो में है। एफ.एस.एल. जमा प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 24 है। बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार किया कि वह मौके पर मौजूद नहीं था। उसके सामने न तो सेम्पल लिया गया, नल ही माल पैक किया गया, न ही सील लगाई गई थी। उसके केवल माल व ट्रक ही जमा रवाया गया था इसके अलावा कोई अन्य वस्तु या दस्तावेज जमा नहीं करवाया गया था। उसने मालखाना से एफ.एस.एल. हेतु मला दिनांक 24.02.20 को सुबह नौ बजे नरेन्द्र कानि. के साथ भेजा था। इस संबंध में उसने रजिस्टर पर कोई इन्द्राज नहीं किया।

16. साक्षी नरेन्द्र पी.डब्ल्यू. 13 प्रकरण में जप्तशुदा माल को एफ.एस.एल. में जमा कराने का गवाह है। इस साक्षी ने अपने बयानों में बताया कि वह दिनांक 24.02.2020 को थाना डाबी पर कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन प्रकरण संख्या 7/20 धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में जप्तशुदा एक सीलशुदा पैकिट मार्क ए मालखाना इंचार्ज महावीर एच.सी. ने सीलशुदा हालत में मय कागजात एफ.एस.एल. जयपुर में जमा कराने हेतु उसे सुपुर्द किया था। जिसे लेकर वह रवाना होकर एसपी कार्यालय पहुंचा जहां से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर रात्रि मुकीम रहा। दिनांक 25.02.20 को रवाना हो एफ.एस.एल. जयपुर पहुंचा जहां उक्त आर्टिकल मार्क ए सीलशुदा हालत में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर दिगर राजकार्य करता हुआ दिनांक 27.02.20 को वापस थाने आया व रसीद मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 26 है। नकल रपट रवानगी व वापसी प्रदर्श पी 16 व प्रदर्श पी 17 है। एफ एस एल की रसीद प्रदर्श पी 24 है।

17. साक्षी मुकेश कुमार पी.डब्ल्यू. 11 द्वारा धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना प्रेषित की गई है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 06.01.20 को थाना डाबी पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन एस.एच.ओ. संपत सिंह ने प्रकरण संख्या 7/20 धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट मे धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना एक लिफाफे में रखकर उसे दी थी जिसे लेकर वह रवाना हो एस.पी. कार्यालय पहूंचा व एस.पी. साहब को उक्त लिफाफा

सुपुर्द किया। जिन्होने धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना की दूसरी प्रति पर रसीद अंकित कर उसे दी जिसे लेकर वह वापस थाने आया व रसीद एस.एच.ओ. साहब को सुपुर्द की। धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना प्रदर्श पी11 है। रवानगी की नकल रपट प्रदर्श पी 13 व वापसी की नकल रपट प्रदर्श पी 14 है। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि उसे यह जानकारी नहीं है कि लिफाफे में क्या लिखा हुआ था। एस.पी. साहब ने एक प्रति हस्ताक्षर करके उसे लौटा दी थी।

18. साक्षी महेश कुमार पी.डब्ल्यू. 12 नक्शा मौका का गवाह है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 08.01.2020 को थाना नमाना पर कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन प्रकरण संख्या 7/20 थाना डाबी धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कौशल्या गालव ने चश्मदीद गवाह दामोदर प्रसाद एचसी की निशांदेही से घटनास्थल डाबी धनेश्वर रोड, अंबेरानी मोड के पास का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 8 है। बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार किया कि वह वक्त घटना घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था।

19. साक्षी बंशी लाल पी.डब्ल्यू. 16 बेचाननामा इकरारनामा का गवाह है, जिसने अपने बयानों में बताया कि उसने दिनांक 20.12.2023 उसने मांगीलाल पुत्र देवाराम निवासी डूडियो की ढाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर का बेचान इकरारनामा नमाना थाने पर अनुसंधान अधिकारी को दिया था जो बेचान इकरारनामा प्रदर्श पी 27 है। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि उसने पुलिस को बता दिया था। फिर इनसे पुलिस ने पूछताछ की या नहीं, यह उसकी जानकारी नहीं में है। बेचान दिनांक 11.12.19 से ही वाहन रामाराज के कब्जे में था, अभियुक्त मांगी लाल के कब्जे में नहीं था। उसे यह जानकारी नहीं है कि जिस दिन यह ट्रक पकड़ा उस दिन मांगी लाल उक्त वाहन को चला रहा था या नहीं।

20. साक्षी अशोक कुमार पी.डब्ल्यू. 6 तामील कुलिन्दा के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने बताया कि वह दिनांक 16.08.2022 को थाना नमाना पर हेड कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन उसके न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट बून्दी में सरकार बनाम मांगीलाल वगैरह एफ आई आर 07/2020 थाना डाबी में मुलजिम मांगीलाल पुत्र देवाराज निवासी लूणावास डूडियों की ढाणी थाना झंवर जिला जोधपुर ग्रामीण के गिरफतारी वारंट की तामील बाबत तामील कुनिन्दा के रूप में बयान हुए थे। उक्त अभियुक्त वारंटी मांगीलाल विश्नोई का गिरफतारी वारंट उसे तामील हेतु दिनांक 20.05.2022 को प्राप्त हुआ था जिसकी तामील हेतु वह दिनांक 12.06.2022 को वारंटी के निवास स्थान पर पंहुचा व तलाश किया तो उसका पता नहीं चला। उसके बाद दिनांक 24.06.2022 को वारंटी की तलाश हेतु वारंटी की सकुनत पर पंहुचा व तलाश की तो नहीं मिला। दिनांक 10.08.2022 को वारंटी की तलाश में उसकी सकुनत पर पंहुचा व ग्राम पंचायत लूणावास से तस्दीक प्रमाण पत्र व संपति सूची प्राप्त की। उसके न्यायालय मंे तामील कुनिन्दा के बयान की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 19 है गिरफतारी वारंट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 20 है। अभियुक्त को मफरूर घोषित करने संबंधी

आदेशिका की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 21 है। बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि वह जब मुलजिम की तलाशी में गया तो उसने किस-किस व्यक्ति से पूछताछ की उनके नाम पते या नम्बर वारण्ट पर नहीं लिखे थे।

21. साक्षी महेन्द्र सिंह पी.डब्ल्यू. 14 है जो 37 पुलिस एक्ट के वारण्ट का गवाह है, जिसने बताया कि वह दिनांक 05.03.2022 को थानाधिकारी थाना नमाना के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नंबर 7/2020 थाना डाबी, धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट की पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुई। इससे पूर्व प्रकरण में अनुसंधान श्रीमति कौशल्या गावल, महेन्द्र सिंह शेखावत व धर्माराम एस. आई. द्वारा किया गया था। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा मुलजिम मांगीलाल विश्नोई की तलाश हेतु श्री शोभाराम कानि. व देवेन्द्र कानि., अशोक भामू हैड कानि. को पृथक-पृथक तलाश हेतु रवाना किया। उसका कोई पता नहीं चला। तत्पश्चात् माननीय न्यायालय से धारा 37 पुलिस एक्ट का वारंट प्राप्त करने हेतु पत्रावली पेश की। तत्पश्चात् न्यायालय से वारंट जारी होने पर वारंट तामील हेतु भिजवाया गया। इसके बाद उसका स्थानान्तरण लाईन में होने के कारण उसने पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु एस.एच. ओ. को पेश की। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि उसने थाने से कांस्टेबल को मुलजिम की तलाशी हेतु रवाना होने का आदेश दिया था, उन्होंने मुलजिम की कहॉ-कहॉ तलाश की, मुलजिम के बारे में किन-किन व्यक्तियों से पूछताछ की, इससे संबंधित कोई दस्तावेज शामिल पत्रावली नहीं हैं।

22. साक्षी धर्माराज पी.डब्ल्यू. 15 आरोप-पत्र प्रस्तुत करने हेतु आदेश प्राप्त करने का गवाह है, इस साक्षी ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 31.05.2024 को थानाधिकारी थाना नमाना के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नंबर 7/2020 थाना डाबी, धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट की पत्रावली बाद अनुसंधान चालानी आदेश प्राप्त करने हेतु उसे प्राप्त हुई। उक्त प्रकरण की पत्रावली श्रीमान पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेजकर आरोपी मांगीलाल के विरूद्ध धारा 8/15, 8/25 एनडीपीएस एक्ट में आदेश प्राप्त कर पत्रावली चार्जशीट पेश करने हेतु थाना डाबी भिजवाई। बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार किया कि ना ही तो वह घटनास्थल पर मौजूद था और ना ही किसी फर्द जप्ती पर उसके हस्ताक्षर हैं।

23. साक्षी अनिल जोशी पी.डब्ल्यू. 18 आरोप-पत्र प्रस्तुत करने का गवाह है, इस साक्षी ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 14.06.2024 को थानाधिकारी थाना डाबी के पद पर तैनात था। उस दिन प्रकरण सं0 07/2020 धारा 8/15 व 8/25 एनडीपीएस एक्ट की पत्रावली बाद अनुसंधान एवं बाद पुलिस अधीक्षक के चालानी आदेश के प्राप्त हुई। जिसे उसने अभियुक्त मांगीलाल पुत्र देवाराम जाति विश्नोई के विरूद्ध अपराध धारा 8/15 व 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जाने से चार्जशीट कता कर न्यायालय में पेश की। बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार किया कि न तो वह मौके पर गया और न ही अनुसंधान किया। अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान के आधार पर ही उसने चार्जशीट पेश की।

24. साक्षी महेश कुमार पी.डब्ल्यू. 21 द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा माल की इन्वेन्ट्री करवायी गई है। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 18.02.2022 को थाना डाबी में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन प्रकरण संख्या 07/2020 धारा 8/15 एन डी पी एस एक्ट में धारा 52 ए एन डी पी एस एक्ट के तहत प्रकरण में जप्तशुदा मादक पदार्थ डोडा चूरा व वाहन की इन्वेंटरी की कार्यवाही न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बूंदी श्री सुनील कुमार आर जे एस द्वारा थाने पर की गई थी। इन्वेंटरी के दौरान प्रकरण में जप्तशुदा मादक पदार्थ डोडाचूरा आर्टिकल सी-1 से सी-52, मार्क डी, मार्क बी व वाहन आर जे 19 जी बी 2877 ट्रक 10 चक्का की इन्वेंटरी की कार्यवाही की गई थी। कार्यवाही के दौरान जप्तशुदा आर्टिकल सी-1 से सी-52, मार्क डी, का वजन किया जाकर रिप्रिजेंटेटिव सेम्पल निकाला गया था। जिनका वजन इलेक्ट्रोनिक कांटा से किया जाकर सील्ड मोहर किया जाकर मार्क आर एस 1 से आर एस 53 दिया गया था। सम्पूर्ण इन्वेंटरी की कार्यवाही के दौरान फोटोग्राफी करवाई गई। जप्तशुदा आर्टिकल सी-1 से सी 52 मार्क डी व मार्क बी को पुनः सील मोहर कर जमा मालखाना करवाया था। आर्डरशीट इन्वेंटरी प्रदर्श पी 35, तथा इन्वेंटरी की कार्यवाही प्रदर्श पी 36 है। इन्वेंटरी के फोटो प्रदर्श पी 37 लगायत प्रदर्श पी 122 है। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि इन्वेन्ट्री की कार्यवाही में देरी का कारण प्रस्तुत इन्वेन्ट्री रिपोर्ट में नहीं है। उसका पदस्थापन सितम्बर वर्ष 2021 में थाना डाबी में थानाधिकारी के पद पर हुआ था तब उसके ज्ञान में आया कि जप्तशुदा मादक पदार्थ डोडा चूरा की धारा 52 ए एन.डी.पी.एस.एक्ट के तहत इन्वेन्ट्री की कार्यवाही नहीं हुई है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को लिखित में सूचना नहीं दी। गवहा ने स्वीकार किया कि जप्ती व इन्वेन्ट्री के समय जप्तशुदा माल के वजन में अंतर था। माल के वन में अंतर का कारण प्लास्टिक के कट्टों को चूहों द्वारा काट लिये जाने से माल का निकल जाना और माल पुराना हा जाने से सूख जाने से भी वजन कम हो गया था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि जप्ती के समय व इन्वेन्ट्री के समय जो माल में अंतर आया, वह अंतर का माल किसी व्यक्ति के पास पाया जाता तो उस व्यक्ति को एन.डी.पी.एस.एक्ट के तहत आरोपी बनाया जा सकता है। इन्वेन्ट्री के दौरान माल के वजन में अंतर आने की सूचना उच्चाधिकारियों को नहीं दी गई। इन्वेन्ट्री रिपोर्ट पर उसके, मालखाना प्रभारी व इन्वेन्ट्री अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

25. साक्षी कौशल्या गालव पी.डब्ल्यू. 19 प्रकरण में प्रारम्भिक अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 06.01.2020 को थानाधिकारी थाना नमाना के पद पर तैनात थी। उस दिन थाना डाबी के प्रकरण सं0 07/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट की पत्रावली उसे वास्ते अनुसंधान प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान बयान धारा 161 सी आर पी सी दामोदर हेड कानि., सत्यनारायण कानि., लाल सिंह चालक कानि., राजेन्द्र सिंह ए एस आई एवं श्री सम्पत सिंह एस आई थानाधिकारी थाना डाबी के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्व किये एवं चश्मदीद गवाहों की निशांदेही से घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 8 है। परिवहन अधिकारी जिला जोधपुर से ट्रक नम्बर आर जे

19 जी बी 2877 का रिकार्ड प्राप्त किया गया। जो प्रदर्श पी 29 है। परिवहन अधिकारी द्वारा वाहन के संबंध में दी गई रिपोर्ट प्रदर्श पी 30 है। नकल रपट रोजनामचा प्रदर्श पी 31 व 32 शामिल पत्रावली है। तत्पश्चात् उसका स्थानान्तरण हो जाने से पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु तत्कालीन एस एच ओ को सुपुर्द की। बचाव पक्ष की जिरह में बताया कि वह वक्त घटना घटनास्थल पर नहीं थी तथा उसके पास वक्त घटना कोई कार्यवाही नहीं देखी थी। गवाह ने स्वीकार किया कि सम्पूर्ण अनुसंधान उसका नहीं है। उसके अनुसंधान तक किसी को मुलजिम नहीं माना गया था। उसने जिस तारीख को अनुसंधान महेन्द्र जी को सुपुर्द किया, उसका केस डायरी में अंकन है। केवल आर.टी.ओ. के दस्तावेज से ही यह नहीं कहा जा सकता कि मांगी लाल ही आरोपी हो।

26. साक्षी महेन्द्र सिंह पी.डब्ल्यू. 20 द्वारा भी प्रकरण का आंशिक अनुसंधान किया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 19.06.2020 को थाना नमाना पर एसएचओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना डाबी के प्रकरण संख्या 7/2020 धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट की पत्रावली कौशलया गालव का स्थानांन्तरण हो जाने से पत्रावली उसे प्राप्त हुई थी। उसके द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया जाकर प्रकरण में जप्त माल एफ.एस.एल. में जमा करवाये जाने हेतु कानि. नरेंद्र द्वारा एफ.एस.एल. में भिजवाया गया। जिसने एसपी कार्यालय से अग्रेषण पत्र तैयार करवाया जाकर माल एफ.एस.एल. में जमा करवाया। बाद जमा प्राप्ति रसीद मालखाना इंचार्ज को पेश की। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 26 है। प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 24 है। मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 23 है। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान गवाहान मुकेश कुमार, नरेंद्र कुमार व महावीर सिंह के बयान लेखबद्ध किये गये। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान एसबीआई बैंक झवर जिला जोधपुर को धारा 91 जाप्ता फौजदारी का नोटिस दिया था जो प्रदर्श पी 33 है। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान यूको बैंक झवर जिला जोधपुर को धारा 91 जाप्ता फौजदारी का नोटिस दिया था जो प्रदर्श पी 34 है। इसके बाद दिनांक 31.01.2022 को उसकी सेवानिवृत्ति हो जाने के कारण उसके द्वारा पत्रावली अन्य आई.ओ. को सुपुर्द कर दी गई। बचाव पक्ष की जिरह में स्वीकार किया कि सम्पूर्ण अनुसंधान उसके द्वारा नहीं किया गया, केवल कुछ हिस्से का ही अनुसंधान किया गया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि केवल उसके अनुसंधान के आधार पर ही मांगी लाल को मुलजिम नहीं बनाया जा सकता। वह मौके पर नहीं गया, उसने पूर्ण अनुसंधान नहीं किया, अत- वह यह नहीं बता सकता कि इस प्रकारण में कोई स्वतंत्र गवाह थे या नहीं, मौके पर राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति थी या नहीं। मुलजिम का कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड हो, यह उसकी जानकारी में नहीं आया। माल की जप्ती 06.01.2020 जबकि सेम्पल एफ एस एल हेतु दिनांक 24.02.2020 को भिजवाया गया था। मांगीलाल को कॉल डिटेल व लोकेशन एवं गाडी मालिक होने के आधार पर ही मुलजिम बनाया गया था। कॉल डिटेल व लोकेशन पत्रावली में संलग्न है या नहीं इसकी उसे जानकारी नहीं है। मुलजिम उक्त माल का उपयोग, उपभोग, भण्डारण, विक्रय और उत्पादन कर रहा हो, यह मेरे अनुसंधान में

नहीं आया। अनुसंधान के दौरान मेरी जानकारी में यह भी नहीं आया कि अभियुक्त ने अपना वाहन किसी व्यक्ति को माल का परिवहन करने के लिये किराये पर दिया हो या सुपुर्द किया हो।

27. साक्षी सत्यनारायण पी.डब्ल्यू. 17 भी प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया कि वह दिनांक 20.12.2023 को थाना नमाना में थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नम्बर 7/20 थाना डाबी अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अनुसंधान पत्रावली उसे अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान उसने मुलजिम मांगीलाल पुत्र देवाराम विश्नाई को गिरफ्तार किया। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 22 है। मुलजिम से अनुसंधान किया तथा दौराने अनुसंधान मुलजिम मांगीलाल ने सूचना दी कि एक ट्रक आर जे 19 जी बी 2877 जिस स्थान पर डोडा चूरा भरा हुआ छोडकर गया था उसको चलकर बता सकता हूँ। फर्द सूचना प्रदर्श पी 28 है। मुताबिक सूचना मुलजिम मांगीलाल ने अम्बेरानी का तिराहा धनेश्वर पहुंचकर घटना स्थल की तस्दीक कराई। फर्द नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी 25 है। दौराने अनुसंधान मुलजिम मांगीलाल से उक्त ट्रक के मालिकाना हक के बारे में पूछा तो उसके द्वारा उक्त ट्रक रामाराम पुत्र मांगीलाल मेघवाल निवासी इन्द्रा कोलोनी लूनी को बेचान करना बताया जिसका स्टाम्प असल बेचान इकरारनामा प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया जो प्रदर्श पी 27 है। तत्पश्चात् उसका स्थानान्तरण हो जाने से पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु तत्कालीन एस.एच.ओ. को सुपुर्द की।

28. दोनों पक्षों की ओर से दिये गये तर्कों पर विचार कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार करना उचित पाता है कि क्या प्रस्तुत मामले में सम्पूर्ण कार्यवाही दौराने गश्त धारा 42 एन.डी.पी.एस.एक्ट के तहत आकस्मिक की गई थी, इस संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो मौके के गवाहान द्वारा व फर्द जप्ती प्रदर्श पी-1 से दर्शित हो रहा है कि दिनांक 05.01.2020 को रात्रि करीब 11.54 पी.एम. पर थाना डाबी से सहायक उप निरीक्षक सम्पत सिंह मय जाप्ता राजेन्द्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक, दामोदर प्रसाद हैड कानि., सत्यनारायण कानि. व लाल सिंह कानि. चालक के साथ वास्ते गश्त मय अनुसंधान बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर इलेक्ट्रोनिक तराजू व मय सरकारी जीप थाने से रवाना होकर गश्त करते हुए अम्बेरानी तिराहे पर पहुँचे जहॉ उनके द्वारा नाकाबन्दी की गई तो रात्रि करीब 1.40 ए.एम. दिनांक 06.01.2020 को डाबी की तरफ से उक्त ट्रक आया जिसे नाकाबन्दी से करीब 50 मीटर पहले ही पुलिस जीप व जाप्ते को देखकर ट्रक को रोककर ट्रक चालक मौके से भाग गया। यह कार्यवाही दौराने गश्त की गई थी, इस तथ्य की पुष्टि के संबंध में यदि मौके के गवाह पी.डब्ल्यू. 1 लगायत 5 के बयानों का अवलोकन किया जाये तो सभी ने यह कार्यवाही दौराने गश्त की गई नाकाबन्दी के दौरान करना बताया है। वास्तव में यह जाप्ता गश्त के लिये थाने से रवाना हुआ हो, इस तथ्य की पुष्टि रोजनामचा रपट प्रदर्श पी-6 से

भी होती है। साथ ही उक्त जाप्ते के सम्पूर्ण कार्यवाही करने के पश्चात् मय ट्रक व माल के थाने पर वापिस आने की पुष्टि रोजनामचा रपट प्रदर्श पी-7 से हो रही है। इसी के साथ प्रदर्श पी-1 की पुस्त पर मौजूद कार्यवाही पुलिस व चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-10 से भी हो रही है। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट है कि यह कार्यवाही किसी पूर्व सूचना पर नहीं की गई थी अपितु आकस्मिक रूप से तब की गई जब कार्यवाही करने वाला जाप्ता नाकाबन्दी कर रहा था।

29. यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में जैसा प्रदर्श पी-1 से प्रकट हो रहा है, अभियुक्त मांगी लाल की गिरफ्तारी मौके से नहीं की गई है एवं इस संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क है कि जप्ती की कार्यवाही अभियुक्त की अनुपस्थिति में की गई है और समुचित प्रक्रिया अपनाकर नहीं की गई है, ऐसे में अभियोजन की कहानी से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं है। जिस पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। यदि जप्ती की परिस्थितियों व प्रक्रिया के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो मौके पर चालक के द्वारा ट्रक छोड़कर भाग जाने पर ट्रक संख्या आर.जे.19 जी.बी.-2877 की तलाशी लेना आवश्यक होने पर सम्पत सिंह जो तत्समय् थानाधिकारी के रूप में मौजूद था, ने जाप्ते से कानि. दामोदर प्रसाद जो कि पी.डब्ल्यू. 4 के रूप में परीक्षित हुआ है, को स्वतंत्र गवाह लाने के लिये हुक्मनामा प्रदर्श पी-9 देकर रवाना किया। स्वाभाविक रूप से रात्रि के समय स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं होने से दामोदर प्रसाद द्वारा कोई गवाह नहीं मिलने की सूचना सम्पत सिंह को दी गई। जिसका पृष्ठांकन प्रदर्श पी-9 पर ए से बी मौजूद है। तत्पश्चात् जाप्ते से ही स्वयं दामोदर प्रसाद हैड कानि. व राजेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक पी.डब्ल्यू. 1 को इस कार्यवाही का गवाह मामूर करने की सहमति प्राप्त की गई, जो प्रदर्श पी-2 से प्रमाणित है एवं गवाहान ने भी अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है। मौके पर मौजूद ट्रक की तलाशी लिये जाने पर उक्त ट्रक में केबिन में कोई दस्तावेज नहीं मिले, परन्तु ट्रक के डाले पर तिरपाल हटाकर देखे जाने पर 53 प्लास्टिक के कट्टे भरे मिले, जिन्हें मौके पर नीचे उतारकर जीप की लाईट में देखा गया तो उनमें मादक पदार्थ डोडा चूरा भरा हुआ पाया गया। इस तथ्य की पुष्टि मौके के सभी गवाहान द्वारा की गई है और इस बिन्दु पर किसी भी गवाह की साक्ष्य में कोई विरोधाभास मौजूद नहीं है। तत्पश्चात् सर्वप्रथम प्रत्येक कट्टे का इलेक्ट्रोनिक तराजू से वजन किया गया तो कुल वजन प्रत्येक कट्टे का 20 किलो 140 ग्राम तथा बारदाने का पृथक वजन 140 ग्राम पाया गया। बारदाने सहित सभी कट्टों का वजन कुल 10 क्विंटल 67 किलो 420 ग्राम था। सेम्पल लेने से पूर्व प्रदर्श पी-1 व गवाहान के बयानों के अनुसार एक तिरपाल पर सारे कट्टों को खाली कर व माल को एकजाया कर उसमें से 500 ग्राम के दो सेम्पल लिये गये जिन्हें जप्ती अधिकारी की निजी सील से सील मोहर किया गया। इस तथ्य की पुष्टि भी गवाहान द्वारा की गई है। शेष माल को उन्हीं कट्टों में पुनः भरा गया, जिसमें कट्टा मार्क सी-1 लगायत सी-52 में 20-20 किलो माल भरा गया वहीं कट्टा मार्क डी में 19 किलो माल भरा गया।

प्रकरण में जप्तशुदा कट्टों का हुलिया भी प्रदर्श पी-1 की पुश्त पर अंकित किया गया। उक्त माल व जप्तशुदा ट्रक को वापिस थाने लाकर उसे पुनः सील मोहर कर जमा मालखाना किये जाने की पुष्टि प्रदर्श पी-1 की पुस्त पर मौजूद कार्यवाही पुलिस एवं फर्द पुनः नमूना सील प्रदर्श पी-5 से हो रही है, जिसके अनुसार थाना डाबी की मोहर से इन सभी कट्टों का पुनः सील मोहर किया गया। मौके पर अंकित सील थानाधिकारी की निजी सील थी, जिसका नमूना प्रदर्श पी-3 पर मौजूद है। इस प्रकार मौके पर एन.डी.पी.एस.एक्ट के सभी प्रावधानों की पालना कर जप्तशुदा कट्टों से सेम्पल निकालकर जमा मालखाना करवाया जाना दर्शित हो रहा है। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-23 व प्रदर्श पी-23 ए के रूप में पत्रावली पर संलग्न है। ऐसे में अधिवक्ता अभियुक्त का यह कथन माने जाने योग्य नहीं है कि माल की सेम्पलिंग समुचित प्रकार से नहीं की गई है। क्योंकि अभियोजन की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि कथित जप्तशुदा ट्रक में मौजूद सभी कट्टों के माल को एक तिरपाल पर एक जगह खाली करने के पश्चात् उसमें से सेम्पल निकाले गये। पत्रावली पर इन्वेन्ट्री कार्यवाही के दस्तावेजात् मौजूद है एवं इन्वेन्ट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी-36 से यह प्रकट है कि उक्त कट्टे थाना डाबी के मालखाना में मौजूद हैं। हालांकि दौराने बहस यह आपत्ति भी उठाई गई कि इन्वेन्ट्री के दौरान जब कट्टों को तोला गया तो मादक पदार्थ का वजन कम पाया गया, परन्तु इस संबंध में इन्वेन्ट्री के पृष्ठ संख्या 2 पर यह अंकित है कि कट्टों में जगह-जगह छेद हो रहे थे एवं वजन में अंतर के संबंध में मालखाना प्रभारी चूहों द्वारा कट्टों में छेद कर देने से माल का निकल जाना और माल सूख जाना बताया है। इस संबंध में इन्वेन्ट्री कार्यवाही रिपोर्ट से इस न्यायालय के मत में यह प्रकट है कि जप्तशुदा माल के वजन में इन्वेन्ट्री के दौरान इस प्रकृति का अंतर नहीं पाया गया, जो सम्पूर्ण प्रकरण की प्रकृति को ही परिवर्तित कर दे। उक्त अंतर इस प्रकृति का है जो वास्तव में डोडा चूरा में नमी खत्म होने से तथा चूहों द्वारा उक्त माल को खा लेने व नीचे गिर जाने से आ जाना स्वाभाविक है। इस बिन्दु का कोई लाभ अभियुक्त को प्रदान नहीं किया जा सकता। इस न्यायालय के विनम्र मत में जैसा कि दौराने बहस कथन किया गया है, पुलिस जाप्ते के मौके पर पहुँचने व कार्यवाही किये जाने के संबंध में कोई सन्देहास्पद परिस्थितियॉ पत्रावली पर मौजूद नहीं हैं।

30. अब यदि इस बिन्दु पर विचार किया जाये कि उक्त जप्तशुदा पदार्थ मादक पदार्थ की श्रेणी में आता था या नहीं, तो इस संबंध में एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी-18 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके अनुसार एफ.एस.एल. में जमा करवाया गया नमूना सील्डशुदा अवस्था में प्राप्त हुआ था, जो बाद जॉच मादक पदार्थ की श्रेणी में पाया गया। हालांकि अधिवक्ता अभियुक्त का यह कथन है कि मादक पदार्थ को अत्यधिक विलम्ब के साथ जॉच हेतु भेजा गया, परन्तु यहॉ यह उल्लेखनीय है कि जप्ती के तुरन्त पश्चात् माल सील्डशुदा अवस्था में मालखाना में जमा करवा दिया गया था, जिसकी पुष्टि गवाह पी.डब्ल्यू. 8 महावीर सिंह द्वारा कीगई है जो तत्समय् थाना डाबी में मालखाना इंचार्ज के पद पर था। इस गवाह के अनुसार मार्क ए सेम्पल को एफ एस एल में जमा करवाने हेतु कानि. नरेन्द्र 944

को सुपुर्द किया गया था, जिसने माल जमा करवाकर रसीद मालखाना प्रभारी को ही लाकर प्रदान की। इस तथ्य की पुष्टि हेतु कानि. नरेन्द्र को पी.डब्ल्यू. 13 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने नमूना सेम्पल स्वयं के द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में नियमानुसार जमा करवाये जाने व रसीद प्रदर्श पी'-24 लाकर मालखाना प्रभारी को सुपुर्द करने की पुष्टि की है, जिसका कोई खण्डन जिरह में नहीं हुआ है। हालांकि अधिवक्ता अभियुक्त का यह कथन है कि उक्त माल अत्यधिक विलम्ब के साथ विधि-विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है, जिसके कोई कारण स्पष्ट नहीं है, परन्तु पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य प्रतिरक्षा में पेश नहीं की गई कि उक्त जप्तशुदा नमूने के साथ कोई छेडछाड की गई हो अथवा विलम्ब से माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने से अभियुक्त के कोई अधिकार प्रभावित हुए हैं, जिनके कारण अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने येाग्य हो। यह सही है कि जप्तशुदा सेम्पल को यथासंभव शीघ्रता से ही जॉच हेतु भेज दिया जाना चाहिए परन्तु जहॉ वाणिज्यिक मात्रा में अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी दर्शित हो रही हो, वहॉ मात्र जप्तशुदा नमूने को देरी से भेजे जाने के बिन्दु पर इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त की दोषमुक्ति नहीं की जा सकती है। इस संबंध में राज्य बनाम संदीप कुमार, 2009 क्रिमिनल ला जर्नल 3507 (पंजाब व हरियाणा राज्य) के मामले में यह समान मत व्यक्त किया गया है कि मात्र नमूना देरी से भेजे जाने का लाभ अभियुक्त जब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि नमूना सेम्पल के सील्ड अवस्था में होने का बिन्दु खण्डित न हो जाये।

31. अब यदि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त मांगी लाल की लिप्तता के बिन्दु पर विचार किया जाये तो अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने बहस यह कथन भी किया गया कि अभियुक्त मांगी लाल प्रस्तुत मामले में ना तो मौके से गिरफ्तार किया गया और ना ही जप्तशुदा ट्रक से उसका कोई संबंध दर्शित हुआ है, जिस पर न्यायालय द्वारा विचारण किया गया। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त का मौके से गिरफ्तार नहीं होना एक स्वीकृत तथ्य है, परन्तु जो ट्रक संख्या आर.जे.19/जी.बी.-2877 मौके से मय मादक पदार्थ जप्त किया गया, उक्त ट्रक के संबंध में अनुसंधान किये जाने पर यह पाया गया कि यह ट्रक अभियुक्त मांगी लाल के नाम पंजीकृत था। जिसके संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से वाहन के संबंध में जिला परिवहन अधिकारी, जोधुपर से सूचना मांगी गई तो यह तथ्य प्रकट हुआ कि उक्त वाहन अभियुक्त मांगी लाल के नाम पंजीकृत था, जिसके संबंध में दस्तावेज प्रदर्श पी-30 वाहन का विवरण भी पेश किये गये थे। अभियुक्त का इस संबंध में यह कथन रहा कि उसके द्वारा यह वाहन दिनांक 20.12.2019 को रामाराम पुत्र मांगी लाल को बेचान कर दिया गया था, परन्तु पुलिस अनुसंधान में यह तथ्य प्रकट हुआ कि रामाराम की मृत्यु दिनांक 21.12.2019 को ही हो गई थी। ऐसे में अभियुक्त को यह साबित करना था कि उक्त वाहन रामाराम ने प्राप्त कर लिया था और उसकी मृत्यु के पश्चात् वाहन उसके परिजनों के कब्जे में रहा। जबकि इस संबंध में कोई प्रतिरक्षात्मक साक्ष्य अभियुक्त की ओर से पेश नहीं हुई है अपितु पुलिस द्वारा अनुसंधान किये जाने

तक वाहन का पंजीकृत स्वामी रिकार्ड के अनुसार मांगी लाल ही था। यहॉ पर यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि जिस दिन वाहन रामाराम को बेचा गया, उसके अगले ही दिन उसकी मृत्यु का तथ्य दस्तावेज प्रदर्श पी-27 बेचान इकरारनामा को सन्देहास्पद बनाता है। इस संबंध में परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू. 16 बंशी लाल ने भी जिरह में यह कथन किया हे कि घटना वाले दिन ट्रक मांगी लाल चला रहा हो तो उस पता नहीं। एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत यह सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर है कि उसके विरुद्ध इस अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बन रहा है। ऐसे में यदि घटना वाले दिन यह वाहन अभियुक्त मांगी लाल के स्वामित्व व कब्जे का नहीं रहा था तो इस तथ्य को साबित करने का भार मांगी लाल पर था, जो उसके द्वारा साबित नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त मांगी लाल के विरुद्ध यह उपधारणा किया जाना उचित है कि कथित वाहन घटना वाले दिन तक मांगी लाल के ही स्वामित्व व चैतन्य कब्जे में रहा।

32. अब इस बिन्दु पर विचार किया जाना आवश्यक है कि मांगी लाल द्वारा स्वयं अवैध मादक पदार्थ का परिवहन किया गया या अपना वाहन ऐसे परिवहन के लिये उपलब्ध करवाया गया। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि दौराने अनुसंधान अभियुक्त मांगी लाल को गिरफ्तार किये जाने पर उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उक्त स्थान की तस्दीक करवायी गई, जहॉ अभियुक्त के द्वारा ट्रक को छोड़ना बताया गया है। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 17 सत्यनारायण द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में जाहिर किया कि अभियुक्त द्वारा उक्त स्थान की तस्दीक करवायी गई, जहॉ उसके द्वारा ट्रक को डोडा चूरा से भरा हुआ छोड़ा गया था। इस गवाह के अनुसार फर्द नक्शा मौका घटनास्थल तस्दीक प्रदर्श पी-25 है। उक्त तस्दीक घटनास्थल नक्शा प्रदर्श पी-25 के अवलोकन से दर्शित है कि यह अम्बेरानी माता के पास स्थित वही स्थान है, जहॉ से जप्ती अधिकारी द्वारा ट्रक से माल बरामद होना पाया गया। इस दस्तावेज का गवाह मनोज कुमार पी.डब्ल्यू. 10 व रामेश्वर पी.डब्ल्यू.9 के रूप में परीक्षित हुए हैं, इन दोनों ही गवाहान से अपनी मुख्य परीक्षा में इस बात की पुष्टिकी है कि अभियुक्त मांगी लाल ने स्वेच्छा से धनेश्वर अंबेरानी तिराहे पर पहुँचकर उस स्थान की तस्दीक करवायी, जहॉ वह अवैध डोडा पोस्त से भरा ट्रक छोड़कर भाग गया था। इस संबंध में गवाहान की जिरह में कोई विरोधाभास प्रकट नहीं हो रहा है। हालांकि फर्द तस्दीक व धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना को संस्वीकृति के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध के संबंध में वे सभी कडियॉ पूर्ण हो रही है, जो कि इस तथ्य को साबित करती है कि अभियुक्त मांगी लाल द्वारा स्वेच्छा से अपने पंजीकृत वाहन संख्या आरजे.19/जी.बी.-2977 से बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा का परिवहन किया जा रहा था। इस तथ्य का खण्डन अभियुक्त द्वारा किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया है।

33. प्रस्तुत मामले में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने जिरह यह

आपत्ति उठाई गई कि किसी भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा मांगीलाल के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाने की पुष्टि नहीं की गई है, जिस पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रस्तुत मामले में मुकदमा दर्ज होते ही सर्वप्रथम अनुसंधान उच्चाधिकारियों के निर्देश पर थाना नमाना के ततकलीन थानाधिकारी को दी गई थी जो कि गवाह पी.डब्ल्यू. 19 कौशल्या गालव है, जिनके द्वारा दिनांक 06.01.2020 को अनुसंधान प्राप्त किया गया एवं दौराने अनुसंधान गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये और परिवहन अधिकारी से जप्तशुदा ट्रक के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पश्चात् इस गवाह को स्थानान्तरण हो जाने से अनुसंधान थानाधिकारी नमाना पी.डब्ल्यू. 20 महेन्द्र सिंह को प्राप्त हुआ, जिन्होंने जप्तशुदा मादक पदार्थ के नमूनों को जॉच हेतु विधि-विज्ञान प्रयोगशाला भेजा एवं शेष गवाहान के बयान लेखबद्ध किये, साथ ही अभियुक्त के खातों के संबंध में बैंक से रिपोर्ट प्राप्त की। इस गवाह की सेवानिवृत्ति हो जाने से आगामी अनुसंधान पी.डब्ल्यू. 21 महेश कुमार द्वारा किया गया। इस गवाह द्वारा जप्तशुदा मादक पदार्थ की इन्वेन्ट्री कार्यवाही करवायी गई। इस गवाह का भी स्थानान्तरण हो जाने से अनुसंधान गवाह पी.डब्ल्यू. 14 महेन्द्र सिंह राणावत को सौंपा गया तथा इस गवाह द्वारा अभियुक्त मांगी लाल को गिरफ्तार की गिरफ्तारी के प्रयास किये गये परन्तु उसके नहीं मिलने पर धारा 37 पुलिस एक्ट का वारण्ट जारी करवाया गया व इस संबंध में कार्यवाही की गई। दौराने अनुसंधान इस गवाह के लाइन हाजिर हो जाने से अग्रिम अनुसंधान गवाह पी.डब्ल्यू. 17 सत्यनारायण मालव द्वारा किया गया, जो कि महत्वपूर्ण गवाह है, इस गवाह द्वारा अभियुक्त मांगी लाल की गिरफ्तारी की गई और अभियुक्त की सूचना पर उस स्थान की तस्दीक की गई, जहॉ अभियुक्त द्वारा कथित मादक पदार्थ डोडा चूरा से भरा हुआ आर.जे.19 जी.बी.-2877 छोडा गया। इस ट्रक के मालिकाना हक से संबंधित अनुसंधान करना व बेचाननामा प्रदर्श पी-27 प्राप्त करना भी गवाह ने जाहिर किया। इस गवाह की जिरह में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ जो यह जाहिर करे कि अभियुक्त मांगी लाल की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई हो और उसके द्वारा घटनास्थल की तस्दीक नहीं करवायी गई हो। तत्पश्चात् इस गवाह का भी स्थानान्तरण हो जाने से प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही गवाह पी.डब्ल्यू. 15 धर्माराम द्वारा की गई। इस गवाह ने जाहिर किया कि उसे पत्रावली चालानी आदेश हेतु प्राप्त हुई थी, जिसके लिये पत्रावली पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेज दी गई थी। तत्पश्चात् गवाह पी.डब्ल्यू. 18 अनिल जोशी द्वारा प्रस्तुत मामले में अनुसंधान को प्रमाणित किया जाकर अभियुक्त मांगी लाल के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने व आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किये जाने की पुष्टि की है। ऐसे में अभियुक्त की ओर से किया गया यह कथन माने जाने योग्य नहीं है कि अभियुक्त के विरुद्ध अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपराध प्रमाणित नहीं पाना गया। चूंकि प्रत्येक अनुसंधान अधिकारी द्वारा भागतः अनुसंधान किया गया है और उसी हद तक पुष्टि की गई है। परन्तु सभी अनुसंधान अधिकारियों द्वारा किये गये अनुसंधान का संकलित परिणाम यही है कि अभियुक्त मांगी लाल

द्वारा प्रस्तुत मामले में घटना वाले दिन जप्तशुदा ट्रक आर.जे.19/जी.बी.-2877 से जो कि स्वयं अभियुक्त के स्वामित्व व आधिपत्य का ट्रक था, से मादक पदार्थ डोडा चूरा जिसका वजन करीब 10 क्विंटल 67 किलो 420 ग्राम बारदाना सहित था, को अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था एवं इसी आशय का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर गवाह पी.डब्ल्यू. 18 द्वारा आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

34. अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी कथन रहा है कि अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है, परन्तु प्रस्तुत मामले के किसी भी अनुसंधान अधिकारी से अभियुक्त की कोई पूर्व रंजिश रही हो, ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है एवं उसे झूठा फंसाये जाने का औचित्य क्या है, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। मात्र झूठा फंसाने का अभिवाक् अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने में सहायक नहीं हो सकता है। बलदेव सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2016 क्रिमिनल लॉ जर्नल 114 एस.सी. के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहॉ बडी मात्रा में अभियुक्त के कब्जे से पोस्त तृण बरामद किया गया है व अभियुक्त से पुलिस अधिकारियों की कोई पूर्व शत्रुता नहीं थी और अभियुक्त द्वारा 313 द.प्र.सं. के तहत लिये गये बयान मुलजिम में भी ऐसा कोई कथन नहीं किया कि पुलिस ने उसके खिलाफ गलत मामला क्यों दर्ज किया, वहॉ झूठा फंसाने का अभिवाक् सही नहीं ठहराया गया। प्रस्तुत मामले में भी अभियुक्त द्वारा बयान मुलजिम में इस बिन्दु को स्पष्ट नहीं किया गया कि वास्तव में पुलिस के पास अभियुक्त को झूठा फंसाने का क्या आधार था। जबकि इसके विपरीत प्रस्तुत मामले में सम्पूर्ण अनुसंधान से यह प्रकट हो रहा है कि अभियुक्त मौके पर अपने स्वामित्व आधिपत्य के ट्रक को अवैध डोडा चूरा से भरा हुआ, जो कि वाणिज्यिक मात्रा में था, मौके पर छोड़कर भाग गया था एवं आगामी स्तर पर उक्त ट्रक को तत्समय् अभियुक्त द्वारा ही चलाना अनुसंधान से प्रकट हुआ है तथा अभियुक्त इस तथ्य का खण्डन नहीं कर पाया है कि वह घटना वाले दिन किसी अन्यत्र स्थान पर मौजूद रहा हो और उसके द्वारा ट्रक को चलाकर घटनास्थल तक पहुँचने की कोई संभावना ही नहीं रही हो। अभियोजन द्वारा अपने गवाहान की साक्ष्य से उन सम्पूर्ण कडियों को पूर्ण किया गया है, जिसमें न्यायालय के समक्ष यह साबित हो रहा है कि घटना वाले दिन अभियुक्त द्वारा ही अपने ट्रक को मादक पदार्थ से भरकर परिवहन किया जा रहा है अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा 35 एन.डी.पी.एस.एक्ट के तहत मानसिक दशा की उपधारणा किया जाना उचित प्रतीत होती है कि अभियुक्त द्वारा इस अधिनियम के तहत दण्डित अपराध कारित किया गया है। निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष प्रारम्भिक भार को अपनी साक्ष्य से साबित करने में सफल रहा है। जबकि अभियुक्त द्वारा इस उपधारणा का खण्डन नहीं किया जा सका है, ना ही तो वह घटना वाले दिन अपनी उपस्थिति अन्य स्थान पर साबित कर पाया है, ना ही इस तथ्य को साबित कर पाया है कि जप्तशुदा वाहन आर.जे.19 जी.बी.-2877 घटना वाले दिन उसके चैतन्य कब्जे व स्वामित्व में नहीं रहा हो। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त मांगी लाल के विरुद्ध

धारा 8/15 एन.डी.पी.एस.एक्ट के अपराध का आरोप प्रमाणित करने में सफल रहा है। जो न्यायिक नजीरें अभियुक्त की ओर से अपने समर्थन में पेश की गई है, उनके तथ्य व परिस्थितियॉ इस मामले के तथ्यों व परिस्थितियों से भिन्न हैं। इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में उक्त न्यायिक नजीरें कोई सहायता प्रदान नहीं करती हैं।

35. जहॉ तक धारा 8/25 एन.डी.पी.एस.एक्ट का प्रश्न है तो प्रस्तुत मामले में यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त ने किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करने के लिये अपना ट्रक उपलब्ध करवाया हो या अनुज्ञा दी हो, अपितु वह स्वयं ही उक्त ट्रक का उपयोग मादक पदार्थ के अवैध परिवहन के लिये कर रहा था, ऐसे में धारा 25 के लिये अभियुक्त को पृथक से दण्डित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त को धारा 8/15 एन.डी.पी.एस.एक्ट के अपराध में ही दोषसिद्ध करना उचित पाता है।

36. अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के समग्र परिशीलन व विवेचन से इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 06.01.2020 को समय लगभग 01.40 ए.एम. पर थाना डाबी के क्षेत्र धनेश्वर में अम्बेरानी तिराहे के पास दौराने नाकाबन्दी तलाशी अभियुक्त मांगी लाल के अनन्य आधिपत्य के ट्रक आर.जे. 19/जी.बी.-2877 में मादक पदार्थ "डोडा पोस्त" मिला, जिसका शुद्ध वजन 10 क्विंटल 67 किलोग्राम 420 ग्राम था, जिसको अपने कब्ज़े में रखने बाबत् उसके पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था। वहीं अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य में सन्देह से परे यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि उसके द्वारा अपने स्वामित्व के वाहन को किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर अवैध मादक पदार्थ के परिवहन करने हेतु अनुमत किया हो। ऐसी स्थिति में अभियुक्त मांगी लाल के विरुद्ध आरोपित अपराध 8/15 एन.डी.पी.एस.एक्ट सन्देह से परे प्रमाणित होने से अभियुक्त मांगी लाल एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/15 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने एवं धारा 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट का आरोप अभियुक्त द्वारा स्वयं ही वाहन को अपराध के उपयोग में लेने व किसी अन्य को उपलब्ध नहीं कराने की सूरत में प्रमाणित नहीं होने से इस आरोप हेतु दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आ दे श

निष्कर्षतः अभियुक्त मांगी लाल पुत्र देवाराम, निवासी-ढूंढियों की ढाणी, लूनावास, झंवर, जिला-जोधपुर(राज0) को आरोपित अपराध धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध करार दिया जाता है। वहीं अभियुक्त को अन्य आरोपित अपराध धारा 8/25 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,

1985 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

(मिनाक्षी मीणा)
न्यायाधीश,
विशिष्ट न्यायालय
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, बून्दी

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया:-

38. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त पूर्व में भी न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका हैं। अभियुक्त लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत रहा हैं। बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा भी ज्यादा नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य भी पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्त निर्धन व्यक्ति है। अतः अभियुक्त को भुगती हुई सजा अथवा परिवीक्षा पर रिहा किया जावे।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने सख्त सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

39. उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त पूर्व में लगभग दो वर्ष से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा हैं किन्तु अभियुक्त द्वारा व्यावसायिक मात्रा में मादक पदार्थ का परिवहन किया है, जो कि गम्भीर प्रकृति का अपराध है, जिससे समाज में नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। अतः अभियुक्त की आयु, अवस्था व मादक पदार्थ की मात्रा को देखते हुए निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

अतः अभियुक्त मांगी लाल पुत्र देवाराम, निवासी-ढूंढियों की ढाणी, लूनावास, झंवर, जिला-जोधपुर(राज0) को धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने पर अभियुक्त को उक्त अपराध के लिये दस वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये (1,00,000/-) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त छः माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा।

अभियुक्त द्वारा पूर्व में पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को भा.ना.सुं.सं. की धारा 468 के प्रावधानान्तर्गत मूल सजा में समायोजित किया जावे।

प्रकरण से सम्बन्धित फर्द प्रदर्श पी-1 के जरिये जब्त शुदा मादक पदार्थ डोडा पोस्त (पूर्व में निस्तारित नहीं होने की स्थिति में) मय सेम्पल को अपील अवधि अवसान के छह माह पश्चात् अपील नहीं होने की सूरत में नारकोटिक्स विभाग, कोटा को ड्रग डिस्पोजल कमेटी के माध्यम से नियमानुसार निस्तारण हेतु जमा कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अपील होने की स्थिति में

अपील में पारित निर्देशानुसार निस्तारण किया जावे।

अभियुक्त मांगीलाल का सजा वारण्ट मुर्तिब किया जावे।

न्यायाधीश,
विशिष्ट न्यायालय
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, बून्दी

40. निर्णय आज दिनांक 18 मार्च, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायाधीश,
विशिष्ट न्यायालय
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, बून्दी